संख्या-452/2025/3762/22-2-2023-17(1337)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 09 मई, 2025

विषय:- जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश उर्फ मनोज पुत्र श्री सुरेन्द्र, निवासी जनपद-मेरठ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-09-2023) दिनांक-04-10-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश उर्फ मनोज पुत्र श्री सुरेन्द्र, जो बनी सराय,थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। 1-बन्दी ने दिनांक 05.11.1997 को बन्दी ने कु0 मंजू को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बेईज्जती होने के कारण मंजू ने रात्रि में ही पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। 2-पूर्व में हुयी हत्या में राजीनामा किये जाने के दबाव की रंजिश को लेकर दिनांक 24.05.1999 को बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड फायरिंग कर अजब सिंह, हरि सिंह व गीता नामक 03 लोगो की हत्या कर दी। 3-मारूति वैन लूटने को लेकर दिनांक 09.08.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजीव कुमार उर्फ राजू की गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-702ए/1998, भा0द0वि0 की धारा-363,366,376 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-2 मेरठ के आदेश दिनांक 21.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एस0टी0 नं0-1054सी/1999, भा0द0वि0 की धारा-147,148,307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,एफटीसी-4 मेरठ के आदेश दिनांक 27.06.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।(3)-एस0टी0 नं0-173/2007, भा0द0वि0 की धारा-302/34,364/34,201/34 के अन्तर्गत मा० प्रथम सत्र न्यायाधीश, देहरादून के आदेश दिनांक 22.11.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.08.2023 तक अपरिहार 1- 16 वर्ष, 00 माह, 27 दिन 2-21 वर्ष, 03 माह, 11 दिन 3- 16 वर्ष, 04 माह, 04 दिन सपरिहार 1- 20 वर्ष, 06 माह, 25 दिन 2- 26 वर्ष, 06 माह, 21 दिन 3- 19 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि 1-बन्दी ने दिनांक 05.11.1997 को बन्दी ने कु0 मंजू को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बेईज्जती होने के कारण मंजू ने रात्रि में ही पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। 2- पूर्व में हुयी हत्या में राजीनामा किये जाने के दबाव की रंजिश को लेकर दिनांक 24.05.1999 को बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड फायरिंग कर अजब सिंह, हरि सिंह व गीता नामक 03 लोगो की हत्या कर दी। 3-मारूति वैन लूटने को लेकर दिनांक 09.08.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजीव कुमार उर्फ राजू की गला घोंटकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों क समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रजनीश उर्फ मनोज पुत्र श्री सुरेन्द्र को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश उर्फ मनोज (बन्दी संख्या-1937/2021) पुत्र श्री सुरेन्द्र, निवासी-जनपद-मेरठ को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-452/2025/3762(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दि□नांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-452/2025/3762/22-2-2023-17(1337)/2023

दिनांक: 09 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रजनीश उर्फ मनोज पुत्र श्री सुरेन्द्र, जो बनी सराय,थाना-कोतवाली, जनपद-मेरठ का निवासी है। 1-बन्दी ने दिनांक 05.11.1997 को बन्दी ने कु0 मंजू को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बेईज्जती होने के कारण मंजू ने रात्रि में ही पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। 2-पूर्व में हुयी हत्या में राजीनामा किये जाने के दबाव की रंजिश को लेकर दिनांक 24.05.1999 को बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड फायरिंग कर अजब सिंह, हरि सिंह व गीता नामक 03 लोगो की हत्या कर दी। 3-मारूति वैन लूटने को लेकर दिनांक 09.08.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजीव कुमार उर्फ राजू की गला घोंटकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0 नं0-702ए/1998, भा0द0वि0 की धारा-363,366,376 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0-2 मेरठ के आदेश दिनांक 21.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2)-एस0टी0 नं0-1054सी/1999, भा0द0वि0 की धारा-147,148,307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,एफटीसी-4 मेरठ के आदेश दिनांक 27.06.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।(3)-एस0टी0 नं0- 173/2007, भा0द0वि0 की धारा-302/34,364/34,201/34 के अन्तर्गत मा० प्रथम सत्र न्यायाधीश, देहरादून के आदेश दिनांक 22.11.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.08.2023 तक अपरिहार 1- 16 वर्ष, 00 माह, 27 दिन 2-21 वर्ष, 03 माह, 11 दिन 3- 16 वर्ष, 04 माह, 04 दिन सपरिहार 1- 20 वर्ष, 06 माह, 25 दिन 2- 26 वर्ष, 06 माह, 21 दिन 3- 19 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि 1-बन्दी ने दिनांक 05.11.1997 को बन्दी ने कु0 मंजू को बहला-फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा बेईज्जती होने के कारण मंजू ने रात्रि में ही पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। 2- पूर्व में हुयी हत्या में राजीनामा किये जाने के दबाव की रंजिश को लेकर दिनांक 24.05.1999 को बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड फायरिंग कर अजब सिंह, हरि सिंह व गीता नामक 03 लोगो की हत्या कर दी। 3-मारूति वैन लूटने को लेकर दिनांक 09.08.2005 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर राजीव कुमार उर्फ राजू की गला घोंटकर हत्या करने का जघन्यतम अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों क समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी रजनीश उर्फ मनोज पुत्र श्री सुरेन्द्र को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।